झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा

द्वितीय (बजट) सत्र

वर्ग–04

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न,गुरुवार,दिनांक– 15 फाल्गुन,1941 (श0) / 05 मार्च , 2020 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
(40)	अ0सू0–04	श्री प्रदीप यादव	राशन कार्ड उपलब्ध कराना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	24.02.20
(41)	अ0सू0–03	श्री प्रदीप यादव	योजना का लाभ देना।	अनुसूचित जन–जति,अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण	24.02.20
(42)	अ0सू0–08	श्री मनीष जायसवाल	राशि का भुगतान।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	28.02.20
(43)	अ0सू0–01	श्री विनोद कुमार सिंह	आश्रितों को मुआवजा देना।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले	21.02.20
(44)	अ0सू0–06	श्री बंधु तिर्की	समायोजन करना।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	24.02.20
(45)	अ0सू0–13	श्री विकास कुमार मुण्डा	विद्यालय खोलना।	अनुसूचित जन–जति,अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	28.02.20
(46)	अ0सू0–02	श्री विनोद कुमार सिंह	नहर योजना की जाँच।	जल संसाधन	21.02.20

कृ0 पृ0 उ0———

(47)	अ0सू0–14	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	मानदेय में वृद्धि	महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	29.02.20
(48)	अ0सू0–15	श्री अमित कुमार यादव	धान का क्रय।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	29.02.20
(49)	अ0सू0–16	श्री सुदेश कुमार महतो	कर्ज माफ करना।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता	29.02.20

रॉची
दिनांकः–05 मार्च,2020 (ई0)

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–(प्रश्न)–05/2020–640/वि0स0,राँची,दिनांकः– 02/3/20

प्रतिलिपि :–झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
02.3.2020
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–(प्रश्न)–05/2020–640/वि0स0,राँची,दिनांकः– 2/3/20

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान सभा,राँची को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
02.3.2020
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–(प्रश्न)–05/2020–640/वि0स0,राँची,दिनांकः– 2/3/20

प्रतिलिपि :–कार्यवाही शाखा,वेबासाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
02.3.2020
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

02.03.20

संगत

(40)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 05.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–04 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री प्रदीप यादव,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री रामेश्वर उरॉव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अनुसार इस राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के 86% एवं शहरी क्षेत्र के 55% लोगों को सस्ते दर पर गरीब लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाना है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण जनसंख्या का 86.48% तथा शहरी जनसंख्या का 60.20% आच्छादित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि 7–वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक अहर्ता रखने वाले सभी परिवारों को सरकार राशन कार्ड उपलब्ध नहीं करा पाई है और ना ही त्रुटिपूर्ण राशन कार्ड के त्रुटियों को दूर कर पाई है जिसके कारण प्रदेश के लाखों लोग इस कानून के तहत् मिलने वाले लाभ से वंचित हो रहे हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत 2,64,43,330 लाभुकों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध वर्तमान में 2,63,37,197 लाभुकों को आच्छादित किया गया है जो कि निर्धारित लक्ष्य का 99.60% है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सभी गरीब लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराते हुए मिलने वाले लाभ प्रदान करना चाहती है; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	समाज के कमजोर वर्गों, गरीबों को अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकता के तौर पर आच्छादित किये जाने का भी निदेश सभी जिलों को दिये गये हैं। अधिनियम के अन्तर्गत अपात्र लाभुकों की छटनी किये जाने का निदेश सभी जिलों को समय–समय पर दिये जाते रहे हैं, ताकि उत्पन्न रिक्तियों में से कमजोर वर्गों एवं गरीबों को राशन कार्ड उपलब्ध करायी जा सके।

ह0/–
(व्योमस डुंगडुंग),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–06 (वि०स०)–04/2020– 563 /राँची, दिनांक 28/02/20

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–317/वि०स०, दिनांक 24.02.2020 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(41)

श्री प्रदीप यादव, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 05.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – 03 का उत्तर सामग्री।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को एक लाख रू० सहायता राशि देने का प्रावधान है,	स्वीकरात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इस योजना का समुचित प्रचार–प्रसार एवं क्रियान्वयन प्रभावी न होने के कारण इस वर्ग के छात्र–छात्राएं इस लाभ से वंचित रह गए हैं,	अस्वीकरात्मक। योजना वित्तीय वर्ष 2018–19 में संकल्प संख्या 4127, दिनांक 26.11.2018 द्वारा स्वीकृत की गई है। योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये थे।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त योजना का आर्थिक लाभ सभी योग्य ST, SC छात्र छात्राओं को देने के लिये प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–4/वि०स० – 01/2020 634 रांची, दिनांक 02/03/2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० – 316, दिनांक – 24.02.2020 के क्रम में में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/20

(जगदीश महथा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(42)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 05.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– ख्रा०–08 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री मनीष जायसवाल,
स०वि०स०

उत्तरदात्ता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(i) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2020 में हजारीबाग जिला सहित राज्य के 21 जिलों से सरकार अबतक 72,200 मीट्रिक टन धान का क्रय किसानों से कर चुकी है जिसका निर्धारित दर दो हजार रूपये प्रति क्विंटल सरकार द्वारा तय की गई है और उसकी कुल राशि लगभग 144 करोड़ रूपये हो गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक 03.03.2020 तक हजारीबाग जिला सहित राज्य के 21 जिलों से 113081 मे० टन धानक्रय किया गया है जिसकी कुल कीमत निर्धारित रूपये 2,000/– प्रति क्विंटल की दर से कुल (न्यूनतम समर्थन मूल्य + बोनस) 226.16 करोड़ होता है।
(ii) क्या यह बात सही है कि राज्य में धान अधिप्राप्ति की नियमावली के अनुसार किसानों से धान क्रय करने के पश्चात् एक सप्ताह में जिला प्रबंधक द्वारा संबंधित किसानों के खाते में राशि ऑनलाईन ट्रांसफर करने का प्रावधान निर्धारित है;	स्वीकारात्मक। वस्तुतः क्रय केन्द्रों पर क्रय किये गये धान का उठाव करने के पश्चात् सात दिनों के अन्दर भुगतान किया जाता है।
(iii) क्या यह बात सही है कि वर्णित जिलों के किसानों को अबतक राशि नहीं मिलने के कारण उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे हजारीबाग सहित राज्य के कुल 42 हजार किसान प्रभावित हो रहे हैं;	अस्वीकारात्मक। खरीफ विपणन मौसम 2019–20 में भारत सरकार के निदेशानुसार किसानों को भुगतान पहली बार PFMS के माध्यम से किया जा रहा है। PFMS से भुगतान करने में कुछ तकनीकी समस्या आ रही थी जिसका समाधान कर लिया गया है।
(iv) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों से क्रय की गई धान के मूल्य की राशि का भुगतान तत्काल प्रभाव से करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	किसानो से क्रय की गई धान के मूल्य की राशि का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जा रहा है।

04/03/20

(संजय कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–06 (वि०स०)–15/2020– 601 /राँची, दिनांक 04/03/2020

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 429/वि०स०, दिनांक 28.02.2020 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/20

सरकार के अवर सचिव।

(43)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 05.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री विनोद कुमार सिंह,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि गत पाँच वर्षों में राज्य में एक दर्जन से ज्यादा मौत भूख एवं कुपोषण से हुई है, जिन्हें राशन सुचारू रूप से नही मिल पाता था;	अस्वीकारात्मक।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राशन कार्ड व्यवस्था में आवश्यक सुधार करते हुए मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की विचार रखती हैं, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	राज्य में माह अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है। अधिनियम के अन्तर्गत 2,64,43,330 लाभुकों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध वर्तमान में 2,63,39,284 लाभुकों को आच्छादित किया गया है जो कि निर्धारित लक्ष्य का 99.60% है। अधिनियम के अन्तर्गत अपात्र लाभुकों की छटनी किये जाने एवं पात्र लाभुकों को आच्छादित किये जाने का निदेश सभी जिलों को समय–समय पर दिये जाते रहे हैं। साथ ही समाज के कमजोर वर्गों को अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकता के तौर पर आच्छादित किये जाने का निदेश सभी जिलों को दिये गये हैं। अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों को खाद्यान्न न मिलने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। इस निमित्त सभी जिलों को दो–दो लाख रुपये एकमुश्त राशि खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान हेतु उपलब्ध कराया गया है। निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति/परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभान्वित नहीं हो पा रहे है। राज्य सरकार द्वारा बजटीय उपबंध करके ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर एवं शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय में वार्ड स्तर पर 10–10 हजार रूपये "झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष" के तहत सभी जिलों को आवंटित की गई है।

(थॉमस डुंगडुंग),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–06 (वि०स०)–03/2020– 548 /राँची, दिनांक 27/02/20

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–143/वि०स०, दिनांक 21.02.2020 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(44)

श्री बंधु तिर्की, मा0स0वि0स0 के द्वारा दिनांक–05.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–06 का प्रश्नोत्तर।

	प्रश्नकर्त्ता श्री बंधु तिर्की, मा0स0वि0स0	उत्तरदाता–माननीय मंत्री, कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क0.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि एकीकृत बिहार राज्य के समय 1960 में कृषकों को उनके उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं अधिसूचित कृषि उपज को बेहतर व्यापारिक व्यवस्था हेतु बाजार समितियों की स्थापना की गई थी, परन्तु उचित मूल्य दिलाने में असफल होने तथा व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण तत्कालीन बिहार सरकार द्वारा वर्ष–2006 में मार्केटिंग बोर्ड एवं बाजार समितियों को पूर्णतः भंग कर दिया था। वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में भी मार्केटिंग बोर्ड/बाजार समितियों का राज्य के विकास में भूमिका नगण्य है और भ्रष्टाचार व्याप्त है;	**आंशिक स्वीकारात्मक** विभागीय कार्यादेश संo–1573 दिनांक–27.04.2015 द्वारा झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के प्रभावी होने की प्रत्याशा में झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम,2011 की धारा–27(क), (ख),(ग) में क्रय–विक्रय का लेखा एवं बाजार शुल्क निर्धारण की प्रकिया निर्धारित की गयी है एवं धारा–31(क), (ख),(ग) के द्वारा जाँच चौकियों की स्थापना, लेखा पेश करने का आदेश देने और प्रवेश, निरीक्षण तथा अभिग्रहण करने की शक्ति तथा यान आदि रोकने की शक्तियाँ प्रदत्त है के अनुपालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी गयी है। इसके फलस्वरूप अनुसूची में उल्लिखित सभी पदार्थों पर देये शुल्क वसूली नहीं की जाने का आदेश निर्गत है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य कृषि विपणन पर्षद एवं इसके अधीनस्थ कार्यरत बाजार समितियों को भंग करते हुए वहाँ कार्यरत पदाधिकारियों / कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की किसानों की हितकारी महत्वकांक्षी योजना राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) अप्रैल 2016 से क्रियान्वित होकर वर्त्तमान में राज्य के 19 मंडियों में संचालित है। जिसके अन्तर्गत राज्य के 188209 पंजीकृत किसान ऑन–लाईन व्यापार के माध्यम से अपने आय में वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। राज्य के ई–नाम संचालित 19 मंडियों ई–किसान भवन कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर, गुणवत्ता जाँच प्रयोगशाला का अधिष्ठापन किया गया है। वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद अन्तर्गत कार्यरत बाजार समितियों को भंग किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञा पांक–7/कृ0वि0प0(वि0स0)–01/2020– 479 /कृ0,राँची, दिनांक– 03-03-2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संo–319 वि0स0, दिनांक–24.02.2020 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2020
(जय ज्योति सामन्ता)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञा पांक–7/कृ0वि0प0(वि0स0)–01/2020– 479 /कृ0,राँची, दिनांक– 03-03-2020

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग,झारखण्ड,राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2020
सरकार के अवर सचिव।

(45)

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0 वि0 स0 के द्वारा दिनांक– 05.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0 सू0–13 का उत्तर सामग्री

क्र.	अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ0 सू0–13	माननीय मंत्री, अनु0 जन0 जाति अनु0 जा0 एवं पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक कल्याण रहित) कल्याण विभाग का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिले के तमाड़ विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए एक भी आवासीय विद्यालय नहीं है	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय नही होने की वजह से जगली एवं पहाड़ी इलाके के अनुसूचित जातियों की छात्राएँ आज भी पढ़ाई से वंचित रह जा रही है	अस्वीकारात्मक। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए राज्य भर में कुल 7 अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों (प्रति संलग्न) का संचालन किया जाता है। उक्त विद्यालयों में जिला के किसी भी प्रखण्ड, ग्राम के अनुसूचित जाति की बालिकाएँ विहित प्रक्रिया के तहत नामांकण कराकर आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकती है। इसके अतिरिक्त स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय सहित कई प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय संचालित है जिसमें अनुसूचित जाति की बालिकाएँ शिक्षा ग्रहण करती है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राँची जिले के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए एक आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

अनु0 जन0 जाति अनु0 जा0 अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक– 10 / वि0स0प्र0–अ0 वि0–03 / 2020– 643 राँची, दिनांक– 3/3/2020

प्रतिलिपि :1. 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–434 दिनांक –28.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रशाखा–6 (विधायी कार्य), अनु0 जन0 जाति अनु0 जा0 अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3/2020

(नेसार अहमद)
सरकार के विशेष सचिव

F:\kailash_Office\Letter\Letter on Vidhan_Sabha.doc

अनुसूचित जाति आवासीय बालिका विद्यालयों की विवरणी:–

क्र०	जिला	आवासीय विद्यालय का नाम	स्वीकृत कक्षा	बालक / बालिका B/G	ST/SC/ BC
1	गढ़वा	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, रमकण्डा	1 से 10	G	SC
2	चतरा	अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, सिमरिया	6 से 10	G	SC
3	चतरा	अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, सिमरिया	1 से 5	G	SC
4	चतरा	अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, प्रतापपुर	1 से 5	G	SC
5	चतरा	अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, हंटरगंज	1 से 5	G	SC
6	पलामू	अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, लेस्लीगंज	1 से 5	G	SC
7	पलामू	अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय, डुमरी, छतरपुर	1 से 5	G	SC

(46)

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 05.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कोनार नहर योजना उद्घाटन के 24 घंटे के अंदर क्षतिग्रस्त हो गयी;	स्वीकारात्मक। दिनांक 28.08.2019 को कोनार सिंचाई परियोजना के टनेल/ मुख्य नहर के उद्घाटन उपरान्त मुख्य नहर से निःसृत बाँयी शाखा नहर से निःसृत बगोदर शाखा नहर के 16वें कि०मी० पर नहर का तटबंध 27.432 मीटर में क्षतिग्रस्त हुआ था।
2.	क्या यह बात सही है कि क्षतिग्रस्त केनाल में दो माह पूर्व ही 11 करोड़ की लागत से विशेष मरम्मति हुयी थी;	अस्वीकारात्मक। दो माह पूर्व क्षतिग्रस्त शाखा नहर में विशेष मरम्मति का कार्य नहीं कराया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार घटना की उच्च स्तरीय जाँच कराकर कोनार नहर योजना को पूर्ण करने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	दिनांक 28.08.2019 को कोनार सिंचाई परियोजना के टनेल एवं मुख्य नहर के उद्घाटन के उपरान्त बाँयी शाखा नहर से निःसृत बगोदर शाखा नहर के 17वें कि०मी० पर निर्मित Cross Regulator (क्रॉस रेगुलेटर) तक नहर में पानी पहुँचने पर नहर के 16वें कि०मी० पर नहर का तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया। टूटान बिन्दु की दूरी इन्टेक संरचना से 32.00 कि०मी० है। इस टूटान की जाँच हेतु विभागीय पत्रांक–783 दिनांक 29.08.2019 द्वारा मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित की गयी। जाँच समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "संभवतः रात्री में अज्ञात लोगों द्वारा Escape Regulator (इस्केप रेगुलेटर) का गेट बन्द कर देने के फलस्वरूप नहर में अत्यधिक जल जमाव हो गया तथा Overtopping के कारण नहर का दायाँ तटबंध 27.432 मीटर लम्बाई में टूट गया"। जाँच समिति द्वारा Escape Regulator के proper (यथोचित) संचालन में क्षेत्रीय पदाधिकारियों की पूर्ण सजगता का अभाव पाया गया और जाँच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित कार्यपालक अभियंता/ सहायक अभियंता/ कनीय अभियंता को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया एवं उन अभियंताओं पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति करा दी गयी है। परियोजना के शेष वितरणियों एवं माईनर से पाईप लाईन द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक प्रस्ताव तथा डी०पी०आर० तैयार करने के लिए परामर्शी (consultant) के चयन हेतु कार्रवाई की जा रही है। बजट राशि की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में योजना का कार्य कराने के बिन्दु पर निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–01/2020 – 1637 **/राँची, दिनांक** 01/03/2020

प्रतिलिपि :– 1. सदर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 118 वि०स० दिनांक 21.02.2020 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कौंके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.3.20

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(417)

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 05.03.2020 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–14 का उत्तर :–

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देश के कुपोषित राज्यों की श्रेणी में झारखण्ड दूसरे स्थान पर है, जिसका कुपोषण दर 47.8 प्रतिशत है ;	स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे–4 (2015–16) के अनुसार झारखण्ड राज्य में आयु के अनुरुप कम वजन के बच्चे 47.8 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में किये गये सर्वे Comprehensive National Nutrition Survey (2016-17) में पाँच वर्ष तक के कम वजन वाले बच्चों की संख्या में कमी आयी है, जिसके अनुसार राज्य में आयु के अनुरुप कम वजन के बच्चे 42.5 प्रतिशत है।
2.	क्या यह बात सही है कि कुपोषण से मुक्ति दिलाने तथा 6 माह से 6 साल तक के बच्चों के पूरक आहार देने के लिए 88,000 आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका तथा पोषण सखी का सहयोग झारखण्ड में लिया जा रहा है;	स्वीकारात्मक। कुपोषण से मुक्ति दिलाने तथा 6 माह से 6 साल तक के बच्चों के पूरक आहार देने के लिए आँगनबाड़ी सेविका, सहायिका तथा पोषण सखी का सहयोग झारखण्ड में लिया जा रहा है।
3.	क्या यह बात सही है कि आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका तथा पोषण सखी क्रमशः 5,900 तथा 3,850 रुपये मासिक मानदेय पर कार्य कर रही है;	अस्वीकारात्मक। आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं पोषण सखी को निम्नवत् मानदेय राशि का भुगतान किया जा रहा है :– (राशि रुपये में) मानदेय / अतिरिक्त मानदेय / कुल आंगनबाड़ी सेविका: 4500/– / 1900/– / 6400/– आंगनबाड़ी सहायिका: 2250/– / 950/– / 3200/– लघु आंगनबाड़ी सेविका: 3500/– / 1200/– / 4700/– पोषण सखी: 3000/– / 0 / 3000/–
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य में कुपोषण दर कम करने हेतु संबंधित आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय वृद्धि का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं तथा लघु आंगनबाड़ी सेविकाओं के अतिरिक्त मानदेय में दिनांक– 01.11.2019 के प्रभाव से क्रमशः रु0 500/–, 250/– एवं 500/– की वृद्धि की गई है। वर्त्तमान में आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय वृद्धि के संबंध में कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म०स०/विधान सभा–54/2020 – 386 राँची, दिनांक : 04-03-2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०– 570/वि०स० दिनांक–29.02.2020 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

(48)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

दिनांक 05.03.2020 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–15 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अमित कुमार यादव,
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के हजारीबाग, कोडरमा आदि जिलों के सभी प्रखण्डों में पैक्स के माध्यम से किसानों का धान क्रय नहीं किया जा रहा है, जिस कारण किसानों को धान बिक्री करने में समस्या हो रही है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के हजारीबाग, कोडरमा सहित 21 जिलों में लैम्पस/पैक्स के माध्यम से किसानों से धान क्रय किया जा रहा है। शेष तीन जिलों चतरा, गढ़वा एवं पलामू में धान अधिप्राप्ति का कार्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जा रहा है। किसानों की सुविधा को देखते हुए आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। राज्य में दिनांक 03.03.2020 तक 130461 मे० टन धान क्रय किया गया है।
(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य के हजारीबाग, कोडरमा सहित सभी जिलों में धान का क्रय पैक्स के माध्यम से कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त के आलोक में लागू नहीं है।

04/03/20
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–06 (वि०स०)–16/2020– 600 /राँची, दिनांक 04/03/2020

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या– 571/वि०स०, दिनांक 29.02.2020 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/20
सरकार के अवर सचिव।

श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक-05.03.2020 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0-16 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के किसानों पर सात हजार करोड़ रूपये का कर्ज बकाया है, किसान कर्ज चुकाने में असहाय है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार किसानों का कर्ज माफ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस बिन्दु पर सरकार गम्भीर है। आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में भी इसके लिए प्रावधान किया गया है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अ0सू0)-11/2020 504 कृ0, राँची, दिनांक- 04-03-2020

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0-572 दिनांक-29.02.2020 के प्रसंग में (200 प्रतियों के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.03.2020

(चन्द्र भूषण)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अ0सू0)-11/2020 504 कृ0, राँची, दिनांक- 04-03-2020

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.03.2020

सरकार के अवर सचिव।